



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272543
CG-DL-E-14052026-272543

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 320]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

सा.का.नि. 354(अ).—केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) धारा 228 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 230 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्री घटना और आपातकालीन प्रतिक्रिया) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएँ -(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025, (2025 का 24) अभिप्रेत है।
 - "पोत परिवहन महानिदेशालय संचार केंद्र" से समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए भारतीय प्रचालन केंद्र अभिप्रेत है जो अपघटन और आपातकालीन रिपोर्टिंग के लिए किसी एकल बिंदु के रूप में समुद्री प्रशासन महानिदेशालय के अधीन कार्य करता है;
 - "समुद्री अपघटन" से एक घटना, या घटनाओं का कोई क्रम, जो निम्नलिखित के परिणामस्वरूप हुआ है और जिसका सीधा संबंध पोत के प्रचालन से है, -
 - किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उसे गंभीर क्षति;

- ii. किसी पोत से किसी व्यक्ति की हानि;
- iii. किसी पोत की हानि, अनुमानित हानि या परित्याग ;
- iv. किसी पोत को भौतिक क्षति;
- v. किसी पोत का तट पर फंस जाना या अकार्यशील हो जाना, या किसी टक्कर में पोत का शामिल होना;
- vi. समुद्री बुनियादी ढांचे की भौतिक क्षति जो किसी पोत के बाहर है, जो पोत, किसी अन्य पोत या किसी व्यक्ति की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकती है; या
- vii. पर्यावरण की गंभीर क्षति, या किसी पोत या पोतों से होने वाली किसी क्षति से पर्यावरण को गंभीर क्षति होने की संभावना;

(घ) "समुद्री बचाव समन्वय केंद्र" से भारतीय तटरक्षक बल की एक विशेष इकाई अभिप्रेत है, जो एक अभिहित खोज और बचाव क्षेत्र के भीतर समुद्री खोज और बचाव सेवाओं के आयोजन और समन्वय के लिए उत्तरदायी है, जो विपत्ति चेतावनी का प्रबंधन करने, संसाधनों (पोतों, विमानों) को तैनात करने और समुद्रीय विपत्ति में लोगों या जलयानों के लिए बचाव कार्यों का निदेश करने हेतु मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करता है।

(ङ) "समुद्री बचाव उप-केंद्र" से मुख्य समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के अधिनस्थ भारतीय तटरक्षक बल की कोई क्षेत्रीय प्रचालन इकाई अभिप्रेत है, जो अपने अभिहित क्षेत्र के भीतर छोटे पैमाने पर खोज और बचाव गतिविधियों का प्रबंधन और समन्वय करती है;

(च) "नोडल प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 225 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) "अध्यापेक्षा" से आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए कर्मियों, उपकरणों, जलयानों या सुविधाओं के उपयोग की अपेक्षा करने वाले नोडल प्राधिकारी द्वारा कोई विधिपूर्ण आदेश।

(2) ऐसे शब्द और जिन्हें इन नियमों में प्रयुक्त किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित नहीं है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. नोडल प्राधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां- (1) नोडल प्राधिकारी समुद्री घटनाओं की प्रतिक्रिया का समन्वय और पर्यवेक्षण करती है, जिससे जलयानों, व्यक्तियों, संपत्ति, जहाजी माल और समुद्री पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुँचें।

(2) नोडल प्राधिकारी समुद्री घटनाओं और आपात स्थितियों को प्रभावी ढंग से कम करने और प्रबंधित करने के लिए निदेश जारी करने, संसाधन जुटाने और अंतर-अभिकरण सहयोग का समन्वय करने सहित सभी आवश्यक और समीचीन उपाय करेगा।

(3) नोडल प्राधिकारी, अधिनियम के उपबंधों और इन नियमों के अधीन, निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसी के लिए किसी व्यक्ति, स्वामी, चालक दल, पोत स्वामी, पोत प्रबंधकों, पोत प्रचालकों, पत्तन प्राधिकारी, ध्वज राष्ट्र प्राधिकारी, बचावकर्ता, बीमाकर्ताओं या समुद्री घटना में शामिल या प्रभावित किसी अन्य इकाई को सुरक्षा निदेश या निदेशात्मक सिद्धांत जारी कर सकेगा, अर्थात्: -

- (क) पोत या अन्य पोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए;
- (ख) व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए;
- (ग) संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए;
- (घ) समुद्र में और तट रेखा पर बहकर आने वाले खतरनाक और हानिकारक पदार्थ सहित समुद्री खतरों को हटाने या संरोधन की अपेक्षा करने के लिए;
- (ङ) बचाव, अग्निशमन, प्रदूषण नियंत्रण और विसंदूषण सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों को आज्ञापक बनाने के लिए;
- (च) घटना और प्रतिक्रिया संबंधी कार्रवाइयों से संबंधित आवधिक रूप से रिपोर्ट करने और दस्तावेजीकरण की अपेक्षा के लिए;
- (छ) समुद्री घटना के प्रबंधन में अंतर्वलित राष्ट्रीय और पर्याप्त रूप से हितबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों और

प्राधिकरणों के साथ समन्वय और सहयोग करना, जिसमें भारतीय नौसेना, तटीय राज्य प्राधिकरणों, ध्वज राष्ट्र प्राधिकरणों, पत्तन राष्ट्र प्राधिकरणों, भारतीय तटरक्षक बल और कोई अन्य सुसंगत निकाय शामिल हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं; और

(ज) किसी समुद्री घटना के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करना।

(4) यदि नोडल प्राधिकारी द्वारा जारी निदेश का पर्याप्त परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है या होने की संभावना नहीं है, तो नोडल प्राधिकारी ऐसी कार्रवाई कर सकेगा या उसे प्राधिकृत कर सकेगा जो वह उचित समझे, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं,-

(क) किसी भूमि या परिसर में प्रवेश करना, या ऐसा करने के लिए व्यक्तियों को प्राधिकृत करना;

(ख) घटना सुसंगत किसी पोत या संपत्ति का नियंत्रण रखना;

(ग) प्रदूषण निवारण, खतरों को हटाने और बचाव कार्यों सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को कार्यान्वित करना या व्यवस्थित करना;

(घ) आपातकालीन प्रतिक्रिया और उपचार से संबंधित सभी गतिविधियों का समन्वय और पर्यवेक्षण करना।

(5) नोडल प्राधिकारी जारी किए गए निदेशों का सभी पक्षों द्वारा अनुपालन किए जाने की निगरानी करेगा। ऐसी परिस्थितियों में जहां निदेशों का कोई उल्लंघन हो सकता है, अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त प्रधान अधिकारी, अधिनियम की धारा 281 की उप-धारा (2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कोई शक्ति प्रवृत्त कर सकेगा।

(6) महानिदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि समुद्री घटनाओं की प्रतिक्रिया में शामिल सभी इकाइयों के बीच नोडल प्राधिकारी द्वारा घटनाओं के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए समग्र समन्वय हो। महानिदेशक समुद्री घटनाओं की प्रतिक्रिया देने के लिए प्राथमिक प्रतिक्रिया दल के संसाधनों को जुटाने के लिए पोत स्वामियों, ध्वज राष्ट्र प्राधिकरणों, पत्तन राज्य प्राधिकरणों और तटीय राज्य प्राधिकरणों के साथ संचार को सुकर बनाएगा।

4. वें परिस्थितियाँ जिनके अधीन नोडल प्राधिकारी समुद्री आपातकालीन प्रतिक्रिया करेगा - (1) जब प्राथमिक प्रतिक्रिया दल की ओर से समय पर संसाधन जुटाने या समय पर आपातकालीन प्रतिक्रिया देने में किसी प्रकार का विलंब हो और ऐसा करने के युक्तियुक्त कारण हो, तब नोडल प्राधिकारी तत्काल प्रतिक्रिया हेतु कार्रवाई शुरू करेगा और कार्य का निष्पादन करेगा।

(2) प्राथमिक प्रतिक्रिया दल के आगमन और प्रचालन तत्परता पर, नोडल प्राधिकारी, , प्राथमिक प्रतिक्रिया दल को प्रतिक्रिया उपायों का नियंत्रण हस्तांतरित कर सकेगा या छोड़ सकेगा जो वह उचित समझे।

5. लागतों की वसूली- (1) नियम 3 के उप-नियम (4) के अधीन नोडल प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने वाला कोई भी व्यक्ति या इकाई, ऐसे अनुपालन में युक्तियुक्त रूप से उधगत की गई पूर्ण लागत को पोत स्वामी से वसूलने का हकदार होगा।

(2) जहां, कार्रवाई के दौरान नियम 3 के उप-नियम (4) के अधीन नोडल प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत या निदेशित कार्रवाई के क्रम में ऐसे तटीय भूमि या परिसर का उपयोग किया जाता है या प्रभावित होता है ऐसे भूमि या परिसर का पोत स्वामी से युक्तियुक्त रूप से उपगत की गई लागत वसूलने का हकदार होगा।

(3) नियम 4 के अधीन समुद्री आपातकालीन प्रतिक्रिया को निष्पादित करने में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या नोडल प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी लागत को पोत स्वामी से ऐसे प्रभारो या दरों पर वसूल किया जाएगा जो संबंधित सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

6. अभिलेख रखना और लेखा परीक्षा - (1) सभी पत्तन और अपतटीय प्रसुविधा कम से कम पांच साल की अवधि के लिए भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में घटनाओं का लॉग, निरीक्षण अभिलेख और प्रशिक्षण दस्तावेज़ का अनुरक्षण करेंगे।

(2) नोडल प्राधिकारी ऐसे पत्तनों और अपतटीय प्रसुविधाओं का वार्षिक लेखा परीक्षा करा सकेगा, या तैयारी और अनुपालन को सत्यापित करने के लिए आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगा।

[फा. सं. एसवाई-19014/204/2025-एमजी]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2026.

G.S.R. 354(E).— In exercise of the powers conferred by section 230 read with sub-section (4) of section 228 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Marine Incident and Emergency Response) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025, (24 of 2025);

(b) “Directorate General of Shipping Communication Centre” means the Indian operational hub for maritime safety, security, and emergency response, functioning under the Directorate General of Maritime Administration as a single point for casualty and emergency reporting;

(c) “marine casualty” means an event, or a sequence of events, that has resulted in any of the following which has occurred directly in connection with the operations of a ship, —

(i) the death of, or serious injury to, a person;

(ii) the loss of a person from a ship;

(iii) the loss, presumed loss or abandonment of a ship;

(iv) material damage to a ship;

(v) the stranding or disabling of a ship, or the involvement of a ship in a collision;

(vi) material damage to marine infrastructure external to a ship, that could seriously endanger the safety of the ship, another ship or an individual; or

(vii) severe damage to the environment, or the potential for severe damage to the environment, brought about by the damage of a ship or ships;

(d) “Maritime Rescue Coordination Centre” means a specialised unit of the Indian Coast Guard, responsible for organizing and coordinating maritime search and rescue services, acting as the central hub to manage distress alerts, deploy resources (ships, aircraft), and direct rescue operations for people or vessels in peril at sea within a designated search and rescue region ;

(e) “Maritime Rescue Sub-Centre” means a regional operational unit of the Indian Coast Guard, subordinate to a main Maritime Rescue Coordination Centre, that manages and coordinates smaller-scale search and rescue activities within its designated area;

(f) “nodal authority” means an authority appointed by the Central Government under section 225 of the Act;

(g) “requisition” means any lawful order by the nodal authority requiring use of personnel, equipment, vessels or facilities for emergency response.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Duties and powers of the nodal authority.— (1) The nodal authority shall coordinate and supervise the response to marine incidents to ensure minimum damage to vessels, persons, property, cargo, and the marine environment.

(2) The nodal authority shall take all necessary and expedient measures, including issuing directives, mobilising resources, and coordinating inter-agency cooperation to mitigate and manage marine incidents and emergencies effectively.

(3) The nodal authority may, subject to the provisions of the Act and these rules, issue safety directions or directives to any person, master, crew, ship owner, ship managers, ship operators, port authority, flag state authority, salvors, insurers or any other entity involved in or affected by the marine incident for any of the following purposes, namely:—

(a) to secure the safety of the ship or other ships;

- (b) to secure the safety of persons;
- (c) to secure the safety of property;
- (d) to require removal or containment of marine hazards including hazardous and noxious substances spilled at sea and on being washed ashore on coastline;
- (e) to mandate emergency response measures including salvage, firefighting, pollution control, and decontamination;
- (f) to require periodic reporting and documentation related to the incident and response actions;
- (g) to coordinate and cooperate with national and substantially interested international agencies and authorities involved in marine incident management, including but not limited to the Indian Navy, Coastal State Authorities, Flag State Authorities, Port State Authorities, Indian Coast Guard, and any other relevant bodies; and
- (h) to perform any other acts as may be necessary to mitigate the adverse effects of a marine incident.

(4) If a directive issued by the nodal authority is not likely to or has not achieved a sufficient result, the nodal authority may take or authorise such action as deemed necessary, including,—

- (a) entering any land or premises, or authorising persons to do so;
- (b) assuming control of any ship or property relevant to the incident;
- (c) implementing or arranging for emergency response services, including pollution prevention, removal of hazards, and salvage operations;
- (d) coordinating with and supervising all activities related to emergency response and remediation.

(5) The nodal authority shall oversee compliance by all parties with the directions issued. In circumstances where there may be any contravention to the directions, the Principal Officer, appointed under sub-section (2) of section 11 of the Act, may enforce penalties as specified under sub-section (2) of section 281 of the Act.

(6) The Director-General shall ensure overall co-ordination among all the entities involved in response to marine incidents for prompt and effective response to the incidents by the nodal authority. The Director-General shall facilitate communication with the ship owners, flag state authorities, port state authorities and coastal state authorities for mobilising the resources of the primary response party for responding to the marine incidents.

4. Circumstances under which the nodal authority shall carry out maritime emergency response. – (1) The nodal authority shall initiate and execute immediate response action, where there are reasonable grounds, including any delay or inability on the part of the primary response party, to mobilise resources in time or undertake timely emergency response.

(2) Upon arrival and operational readiness of the primary response party, the nodal authority may, as deemed appropriate, transfer or relinquish control of the response measures to the primary response party.

5. Recovery of costs. – (1) Any person or entity complying with directives issued by the nodal authority, under sub-rule (4) of rule 3, shall be entitled to recover the costs reasonably incurred in such compliance from the ship owner.

(2) Where coastal land or premises are used or affected in the course of actions authorised or directed by the nodal authority under sub-rule (4) of rule 3, the owner of such land or premises shall be entitled to recover the costs reasonably incurred, from the ship owner.

(3) Any costs incurred by the Central Government, State Government or nodal authority in executing maritime emergency response under rule 4, shall be recoverable from the ship owner, at such charges or rates as may be specified by the concerned government from time to time.

6. Record keeping and audit. – (1) All ports and offshore facilities shall maintain incident logs, inspection records, and training documentation, in physical or electronic form, for a minimum period of five years.

(2) The nodal authority may conduct audits of such ports and offshore facilities, annually, or may conduct a surprise inspection to verify preparedness and compliance.

[F. No. SY-19014/204/2025- MG]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.